

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 49/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2020

सा.का.नि.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 118, 125, 129 और 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार